न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **186/2021**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– घेवरचंद पुत्र नारायणजी जाति नाई 2– मघाराम पुत्र कूपाराम जाति चौधरी 3– भंवरलाल पुत्र मगनाराम हीरागर 4–ओमप्रकाश पुत्र बालुसिह राजपुरोहित निवासीगण रूगडी तहसील रानी, जिला पाली		1–अमरदास पुत्र भगवानदास 2– मांगीलाल पुत्र भगवानदास जातियान साद निवासीगण गांव रूगडी तहसील रानी जिला पाली 3–बिदामी पत्नी रामदास 4–पिस्ता पत्नी बस्तीराम जातियान साद वैष्णव निवासीगण गांव डुठारिया, तहसील रानी जिला पाली 5–राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–2020 जो राजस्व विविध प्रकरण संख्या 50/2019 अनवान घेवरचंद वगैरा बनाम भगवानदास वगैरा मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जावेद हुसैन अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नही ।
4– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 7–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रूगडी तहसील रानी स्थित वर्तमान खसरा नंबर 37 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म चाही दोयम जिसके पुराने खसरा नंबर 9 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी । उक्त भूमि आवंटन योग्य नही होने के बावजुद भू आवंटन कमेटी बाली द्वारा वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पूर्वज भगवानदास पुत्र धुलदास जाति साद वैष्णव के पक्ष मे दिनांक 6–5–1976 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन कर दिया । उक्त भू आवंटन कमेटी उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा किये गये उक्त आवंटन दिनांक 6–5–1976 को निरस्त करवाने बाबत अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने अपने

जाने का आदेश पारित कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपील मे वर्णित विवादित भूमि गैर मुमकीन नाडी की भूमि थी तथा गै.मु.नाडी की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे होने के कारण उसका आवंटन किसी भी सूरत मे नही किया जा सकता था तथा यह भी कथन किया कि उक्त विवादित भूमि गांव के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि थी एवं उक्त भूमि पर आवंटी या उनके वारिसान का कभी कब्जा नही रहा इसलिए उक्त भूमि का किया आवंटन निरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 का अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि जब रेस्पो0 संख्या 1 अमरदास व रेस्पो0 संख्या 2 मांगीलाल पुत्रान भगवानदास स्वयं ने दिनांक 25–5–2018 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 2018 मे लिखकर दिया था कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि है एवं गांव के सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है तथा उक्त भूमि पर कब्जा भी गांव का ही है इसलिए रेकर्ड मे शुद्धि की जावें । अर्थात् रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दी गई स्वीकृति को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए जो अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज किया है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्णित किया जा चुका है कि गैर मुमकीन नाडी, आगोर इत्यादि की भूमि का आवंटन किसी भी सूरत मे नही किया जा सकता है एवं ऐसा आवंटन कर भी दिया है तो ऐसे आवंटन को हर हालत मे निरस्त किया जाना चाहिये ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देरी से संबंध मे जो विवेचन दिया है, इस संबंध मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि यह आवंटन गै0मु0नाडी की भूमि का है, जो पूर्णतया गलत, गैर कानूनी एवं बिना क्षेत्राधिकार का तथा एब–इनिश्यो–वॉईड प्रारंभ से ही शून्य है, ऐसे आदेश को निरस्त करने के लिए किसी प्रकार का मयाद का बंधन नही है एवं ऐसे गलत आंवटन को किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई मयाद नही है

तथा स्वयं रेस्पो0 ने भी भूमि गांव की सार्वजनिक भूमि होने एवं सार्वजनिक उपयोग मे लेने के तथ्य को स्वीकार किया है तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 को खारीज नही करना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-3-2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2014(1) आर.आर.टी. पेज 256, 2011आर.एल.ड्ब्लु 1389 सु.को.पेज 1389, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 570, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 578 की निर्णय नजीरे प्रस्तुत की । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-3-2020 को निरस्त कर ग्राम रूगडी की गै.मु.नाडी की भूमि के संबंध मे भूमि आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन दिनांक 6-5-76 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भगवानदास पुत्र धूलदास साद जो कि भूमिहीन था उनको वर्ष 1976 मे भूमि आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम रूघडी के खसरा नंबर 197/9 मे से 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि किस्म बी II का आवंटन किया गया था तथा वक्त आवंटन से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भगवानदास का उक्त भूमि पर कब्जा निरंतर रूप से चला आ रहा था जिसके संबंध मे गिरदावरी संवत 2054 एवं 2066 की प्रस्तुत की है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि आवंटन कमेटी ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भगवानदास को गै.मु.नाडी की भूमि का आवंटन नही कर बारानी II की भूमि का आवंटन किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध फार्म III से स्पष्ट है तथा यह भी कथन किया कि यदि उक्त आवंटन गै.मु.नाडी की भूमि का होता तो 40 वर्ष तक तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही क्यो नही की । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि इतनी लबे अंतराल के बाद अपीलाधीन आवंटित भूमि पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है इसलिए 40 वर्ष पश्चात किसी के खातेदारी अधिकारो को समाप्त नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे 2007 (2) आर.आ.टी. पेज 1194 एवं 2000 (7) (2) आरआरटी पेज 1430 की निर्णय नजीरे पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता के पक्ष मे वर्ष ... कमेटी द्वारा ग्राम रूघडी के

गया था तथा वक्त आवंटन से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भगवानदास का उक्त भूमि पर कब्जा निरंतर रूप से चला आ रहा था जिसके संबंध मे गिरदावरी संवत 2054 एवं 2066 की प्रस्तुत की है । फिर भी यदि उक्त आंवटन कोई गलत मानता है तो इसके लिए तहसीलदार की ओर से रेफरेन्स की कार्यवाही प्रस्तुत की जानी चाहिये थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदनं किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किंये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा पक्षकारो के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत अप्रार्थी भगवानदास को भू आवंटन कमेटी उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 6–5–1976 को किये गये भू आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–3–2020 के द्वारा सारहीन होने से खारीज किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटंन आदेश दिनांक 6–5–76 को यथावत रखने के आदेश पारित किये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के पिता भगवानदास पुत्र धुलदास जाति साद वैष्णव के पक्ष मे भू आवंटन कमेटी उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 6–5–1976 को किये गये भू आवंटन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 43 वर्ष के लंबे अंतराल बाद अपील की है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाट ने 43 वर्ष के विलंब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 का प्रस्तुत कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता भगवानदास के पक्ष मे दिनांक 6–5–1976 को किये गये आवंटन को अपील की कार्यवाही के जरिये निरस्त करवाना चाहते है जबकि 43 वर्ष पूर्व के आवंटन पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना करने पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। वर्तमान मे मूल आवंटी भगवानदास पुत्र धुलदास साद की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त एवं उनके द्वारा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा उन्हे आवंटित भूमि पर काश्त की जा रही है अथार्त जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किया गया था, उसी प्रयोजन अनुरूप भूमि आवंटन के 43 वर्ष बाद भी उपयोग मे ली जा रही है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध भूमि आवंटन कमेटी की आज्ञा अनुसार "श्री भगवानदास पुत्र धूलदास जाति साद निवासी रूगडी को 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन खसरा नंबर 197/9 किस्म भूमि बी 2 ग्राम रूगडी मे .... साल के लिए किया जाकर भूमि का कब्जा सुपुर्द करना तथा नामांतरकरण संख्या 139 दिनांक 6–5–76 को स्वीकृत किया जाना प्रकट है । ऐसे मे इतने लंबे अंतराल के बाद आवंटी के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त करना काश्तकार के हितो पर कुठाराघात होगा ।

इस संबंध मे अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा उनकी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो मे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है।

2007(2) RRT 1443 के अनुसार Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt. Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970-Rule 14(4)-Second appeal-Allotment cancelled-Allotment advisory Committee alloted land to appellant in open camp-Appellant spent lot of money & made the land cultivable-Appellant has became recorded khatedar-Allotment not obtained by fraud or misrepresentation-Held, Orders passed by Courts below are not sustainable & set aside & allotment is confirmed.

2007(2) RRT 1443 के अनुसार Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt.

Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970-Rule 14(4)-9 Bigha land allotted to non-petitioner on 14.8.1963-Petitioner failed to produce document to prove that allotee was in possession of 10 bigha land before allotment-Allotment made 40 years ago-Cancellation of allotment is not justified after 40 years & it would be a travesty of justice-Held, Judgment impugned is confirmed.

2007(2) RRT 1194 (HIGH COURT) के अनुसार Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt. Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970-Rule 14(4)-allotment cannot be cancelled after accrual of khatedari rights-Proper remedy is to file suit for declaration-Held parties are free to file suit for declaration of khatedari rights-Further Interference in impugned order declined.

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर चूँकि आवंटी को भूमि आंवटन वर्ष 1976 मे किया गया व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर वर्षो से जमीन पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहा है । इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल की उक्तानुसार प्रस्तुत नजीरो के परिपेक्ष्य मे तथा अपील मे वर्णित तथ्यो मे ठोस आधार के अभाव मे भूमि आवंटन को निरस्त करना न्यायसंगत नही ठहराया जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–3–2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 7–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर